प्रेषक,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल, मा0 एन0जी0टी0
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली–110001

पत्रांकः 557 /एल0बी0ए0–2024 दिनांकः 03 अगस्त, 2024

विषयः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूडकी के पत्रांक–यूकेपीसीबी/आर0ओ0आर0/सा0–147(42)/2024/688 दिनांक 03.08.2024 के द्वारा संयुक्त समिति की वांछित आख्या/Action Taken Report इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है। जो संलग्न है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूडकी का पत्र दिनांक 03.08.2024 के द्वारा संयुक्त समिति की वांछित आख्या/Action Taken Report मूलरूप में संलग्न कर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न–यथोक्त। मूलरूप में।

(पी0एल0 शाह)
अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।
03/08/24

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।
2– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– Shri Himanshu Pal Singh Advocate (L.L.M.) Supreme Court Of India, Panel Lawyer State Of Uttarakhand/Respondent C-65, Neeti Bagh, New Delhi-110049 Mobile No. 9911600411

अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की -247667 हरिद्वार

पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर0ओ0आर0/सा0-147(42)/2024/688 दिनांकः 03.08.2024

पंजीकृत डाक द्वारा

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी महोदय,
जिला- हरिद्वार।

विषयः- मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या- 632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार के पत्रांक सं0- 419/एल0बी0ए0-2024 दिनांक 06.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। जिसके अनुक्रम में वांछित आख्या/ Action taken Report दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित् किया गया है।

अतः वांछित आख्या/ Action taken Report रिपोर्ट संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित् की जा रही है।

संलग्नः- यथोपरि।

भवदीय,

03/08/2024

(एस0 पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. उप जिलाधिकारी महोदय, रूड़की को सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या- 632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक सं0-419/एल0बी0ए0-2024 दिनांक 06. 07.2024 के अनुक्रम मे वांछित आख्या/Action taken Report दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित् किया गया है। जिसके अनुपालन में उप जिलाधिकारी महोदय, रूड़की द्वारा दिनांक 12.06.2024 को एक बैठक आहूत की गयी थी। जिसमें गठित समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की गयी।

1. **Identification/Demarcation of area of Solani River and its translation on GIS Map:-** कार्यालय अधिशासी अभियंन्ता, सिंचाई खण्ड, रूड़की के पत्र दिनांक 26.06.2024 के द्वारा अवगत कराया है, कि जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद के द्वारा सोलानी नदी के बाढ़ परिक्षेत्रण का अध्ययन किया गया। उक्त कार्य के क्रम में सोलानी नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण Modeling सम्बन्धी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर 25 एवं 100 वर्ष बाढ़ की आवृति सीमा रेखा का जी0पी0एस0 के माध्य से Consultant के सहयोग से फील्ड में भौतिक Demarcation का कार्य लगभग 50 प्रतिशत् किया जा चुका है। **(संलग्नक-01)।**

2. **Rehabilitation and Management of its catchment area: -** अवगत कराना है, कि सोलानी नदी का सोलानी एक्वाडेक्ट से 1.00 कि0मी0 अपस्ट्रीम व 0.500 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के नियन्त्रणाधीन है जनपद हरिद्वार में पडने वाले सोलानी नदी के क्षेत्र में बाढ़ परिक्षेत्र निर्धारण का कार्य इस खण्ड में पडने वाले क्षेत्र सहित समस्त सोलानी नदी के बाढ़ परिक्षेत्र निर्धारण कार्य जल विज्ञान संस्थान खण्ड, बहादराबाद द्वारा किया जा रहा है।

3. **Encroachments on the same and removal: -** सोलानी नदी पर रूडकी क्षेत्र में कोई स्थायी अतिक्रमण नही है। पूर्व में आवंटित कृषि पट्टे की भूमि पट्टा निरस्त कर अस्थायी फसल को नष्ट करके कब्जा मुक्त करा दी गयी है। वर्तमान में नदी क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नही है। **(संलग्नक- 02 एवं 03)।**

4. **Tapping of all drains discharging in river solani by construction of STPs etc:-** सोनाली नदी में ~~सी~~0एस0टी0पी0 (क्षमता 33 एम0एल0डी0) से जनित लगभग 6 एम0एल0डी0 जो कि शुद्धि कृत उत्प्रवाह सोलानी नदी में निस्तारित हो रहा है तथा रूड़की शहर के अन्य 07 ड्रेन सोलानी नदी मे मिलते हैं, जो कि क्रमशः घरेलू अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को Carry करते है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं0	ड्रेन का विवरण	घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा (एम0एल0डी0)
Drain 1	आदर्श नगर ड्रेन अपर	0.21
Drain 2	आदर्श नगर ड्रेन लोअर	0.13
Drain 3	धोबी घाट ड्रेन	0.23
Drain 4	सोत मोहल्ला ड्रेन	0.41
Drain 5	ठमली रोड ड्रेन	0.26
Drain 6	मच्छी मोहल्ला लोअर ड्रेन	0.23
Drain 7	रामपुर चुंगी ड्रेन	3.96

- रूड़की शहर से मिलने वाले ड्रेन का विवरण व घरेलु उत्प्रवाह की मात्रा उत्तराखण्ड जल संस्थान हरिद्वार द्वारा किये गये आंकड़ो के अनुसार है, तथा समस्त नालो का निमार्ण कार्य राज्य स्तरीय निमार्ण संस्था उत्तराखण्ड पेय जल निगम के स्तर से किया जाना अपेक्षित है।
- नगर निगम, रूड़की के क्षेत्रान्तर्गत समस्त वार्डो से सोनाली नदी में गिरने वाले नालो का सर्वेक्षण किया गया, जिसकी सूची संलग्न है। **(संलग्नक- 04)**
- कार्यालय परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेय जल निगम, जगजीतपुर, कलखल के पत्रांक सं0- 1761/कार्य-25/23 दिनांक 15.06.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 12.06.2024 को संयुक्त गठित कमेटी में नगर निगम, रूड़की, सिंचाई खण्ड, रूड़की (उत्तराखण्ड), उत्तरी खण्ड गंगनहर, सिंचाई विभाग, (उत्तर प्रदेश), निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेय जल निगम, हरिद्वार एवं राजस्व विभाग, रूड़की के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उनके द्वारा सोलानी नदी में गिरने वाले नालो पर नाला टेपिंग, सिवेज पम्पिंग स्टेशन, सीवर लाईन एवं राईजिंग मेन बिछाने हेतु भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय भूमि का चिन्हिकरण किया गया। जिस हेतु नगर निगम, रूड़की एवं सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश से एन0ओ0सी0 प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित् किया गया। उपरोक्त समस्त भूमि की अनापत्ति प्राप्त होते ही उत्तराखण्ड पेय जल निगम, हरिद्वार द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कर कार्यवाही की जायेगी। **(संलग्नक- 05)।**

5. **Review of existing treatment facilities for treatment of industrial effluents and domestic sewage and improvements required to be made: -**

अवगत कराना है, कि रूड़की क्षेत्रान्तर्गत 03 इंडस्ट्रीयल एरिया स्थापित है, जिस पर कार्यवाही/ सूचनाऐं निम्नवत् है:-

S.no.	Name of Industrial Cluster Area/Unit	No. of Waste water generating Units	Waste Water generation (in MLD)	Treatment facility	Treated effluent disposed
1	Devbhoomi Industrial Estate, Bantakhedi, Roorkee	35	0.134	In House ETP/STP	Treated effluent has been used for irrigation purpose and reused in Industrial Premises.
2	Raipur Co-operative Industrial Area, Raipur Bhagwanpur, Roorke,	500	3.669	In House ETP/STP	
3	Salempur Rajputana, Roorkee	207	1.230	In House ETP/STP	

- **Domestic Sewage Generation and its Treatment.**
  In Roorkee there is only 01 STP that treated the domestic sewage of Roorkee City with capacity of 33 MLD at saliyar, Roorkee whose regular monitoring done on monthly basis by UKPCB, Regional Office Roorkee**(enclosed analysis report with annexure-6)** and after treatment, treated effluent has been disposed into Solani River.
  It only receives on an average of 5-6 MLD of domestic sewage from the city **(enclosed inlet and outlet flow meter reading with annexure-7).**

*उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह सोलानी नदी में निस्तारित नही होता है।

6. Reuse of treated water from CSTP for irrigation by connection the same to irrigation canal/channels purposes by laying down pipelines connecting the concerned industries: -

अवगत कराना है कि परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर, हरिद्वार व अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार द्वारा एस0टी0पी0 को नालों से जोड़ने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त प्रकरण पर वांछित आख्या/ Action taken Report आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(मीनाक्षी मित्तल वशिष्ठ)
परियोजनाप्रबंधक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
जगजीतपुर, हरिद्वार।

(विकास त्यागी)
अधिशासीअभियंता
उत्तरी खण्डगंगानहर, रूड़की।

अधिशासीअभियंता
सिंचाई खण्ड रूड़की।

अधीक्षण अभियंता
जल विज्ञान मण्डल, बहादराबाद।

(एस0 पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूड़की।

(जितेन्द्र कुमार)
मुख्य नगर आयुक्त
नगर निगम, रूड़की।

(दिवेश शाशनी)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रूड़की

Annexure-1

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूड़की
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूडकी—247667
(ई—मेल—eeidroorkee@gmail.com)

सेवा में,

उपजिलाधिकारी / ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट
रूडकी।

दिनांकः—26.06.2024

पत्रांकः— 934 / सिं0ख0रू0 / आख्या,

विषय— मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मूल आवेदन सं0—632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना कि जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद के द्वारा सोलानी नदी के बाढ़ परिक्षेत्रण का अध्ययन किया गया। उक्त कार्य के क्रम में सोलानी नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण Modeling सम्बन्धी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर 25 एवं 100 वर्ष बाढ़ की आवृति सीमा रेखा का जी0पी0एस0 के माध्यम से Consultant के सहयोग से फील्ड में भौतिक Demarcation का कार्य गतिमन है।

अतः अनुपालन आख्या सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

26/6/24

(प्रेमलाल नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक— / सिं0ख0रू0 / आख्या, तदिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदय हरिद्वार।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर—।।, सिंचाई विभाग हरिद्वार।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल हरिद्वार।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद।
5. सहायक अभियनता—प्रथम एवं तृतीय सिंचाई खण्ड रूडकी।

(प्रेमलाल नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता

P.A
Seen. Keep
with ref

ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट
रूड़की
27/06/2024

Annexure-2

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुड़की

पत्रांकः— 1932 /उखगनरू/एस0टी0पी0, दिनांकःरुड़कीः 02/08/ 2024

विषयः— मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) मे योजित मूल आवेदन संख्या— 632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के द्वारा उपजिलाधिकारी, रुड़की द्वारा दिनांक 12.06.2024 को एक आहूत बैठक में बिन्दुवार आख्या के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण अधिकारी, रुड़की।

उक्त आहूत बैठक के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण के अन्तर्गत इस खण्ड से सम्बन्धित बिन्दुओ पर आख्या निम्नवत् हैः—

1. सोलानी नदी का फलड प्लेन क्षेत्र का निर्धारण कार्य जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद द्वारा किया जा रहा है फलड प्लेन जोन निर्धारण के उपरान्त एस0पी0एस0 हेतु अनापत्ति की कार्यवाही की जायेगी।
2. सिंचाई विभाग, उ0प्र0 का नियन्त्रण सोलानी नदी में सोलानी एक्वाडक्ट से 1000 मी0 अपस्ट्रीम एवं 500 मी0 डाउनस्ट्रीम पर है शेष सोलानी नदी का भाग जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड में पडता है, उदगम स्थल से उत्तराखण्ड राज्य में पडने वाली सोलानी नदी के भाग का बाढ परिक्षेत्रण निर्धारण का कार्य जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद द्वारा किया जा रहा है।
3. उत्तरी खण्ड गंगा नहर के नियन्त्रणाधीन सोलानी नदी के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई स्थाई अतिक्रमण नही है कृषि कार्य हेतु पट्टे आवन्टित किये गये थे जिनको निरस्त करने के उपरान्त मौके से अतिक्रमण हटा दिया गया था वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है।
4. सोलनी नदी में मिलने वाले 07 ड्रेन जोकि घरेलू अशुद्धिकृत उतप्रवाह को carry करते है यह सभी ड्रेन नगर निगम क्षेत्र रूडकी के अन्तर्गत पडने के कारण सभी नालों का रख—रखाव नगर निगम, रूडकी द्वारा किया जाता है जिस पर नाला टैपिंग आदि कार्यो की अनापत्ति हेतु यथाप्रस्ताव कार्यवाही कर दी जायेगी।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की

पत्रांकः— /उखगनरू/एस0टी0पी0, तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अधीक्षण अभियन्ता, गंगा नहर संचालन मण्डल, मेरठ।
2. ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रुड़की।
3. सहायक अभियन्ता—तृतीय/उपराजस्व अधिकारी, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुड़की।
4. कोर्ट अनुभाग, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुड़की।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की

Anx-3

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की।

पत्रांक 738 /उखगनरू/राजस्व अनु0/ दिनांक 06.12.2022

विषयः–NGT Original Application N0 632/2022 V.K.Tyagi Versus State of Uttrakhand के सम्बन्ध में रूड़की मे सोलानी नदी की जमीन पर मिलीभगत कर खेती करने एवं पानी के बहाव को अवरूद्ध करने और पानी को प्रदूषित करने के संबंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 735पी0ए0–2022 दिनांक 21.11.2022

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, सिंचाई परिकल्प संगठन बिल्डिंग रूड़की जनपद हरिद्वार,उत्तराखण्ड

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा NGT Original Application N0 632/2022 V.K.Tyagi Versus State of Uttrakhand के सम्बन्ध में रूड़की मे सोलानी नदी की जमीन पर मिलीभगत कर खेती करने एवं पानी के बहाव को अवरूद्ध करने और पानी को प्रदूषित करने के संबंध में बिन्दुवार आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, सिंचाई परिकल्प संगठन बिल्डिंग रूड़की को उपलब्ध कराये जाने की वांछना की गई है, बिन्दुवार वांछित आख्या निम्न प्रकार हैः–

01. रामपुर से लेकर रूड़की–हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल तक कृषको को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर आवंटित भूमि की सूची खसरा सं0 एवं क्षेत्रफल सहित संलग्न है।
02. रामपुर से रूड़की में सोलानी नदी के मध्य अवैध रूप से कास्त व्यक्तियो के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने हेतु सूची क्षेत्रीय सींचपर्यवेक्षक रूड़की द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिविल लाईन रूड़की को प्रेषित की गई है। छायाप्रति संलग्न है।
03 रामपुर से खंजरपुर तक सोलानी नदी में सुरक्षात्मक दृष्टि से निर्मित संरचनाये बंधे स्पर, स्टड आदि पूर्व से निर्मित है उनका रख–रखाव,देख–रेख एवं मरम्मद का कार्य सिंचाई खण्ड रूड़की जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। अवैध रूप से कोई स्थाई संरचनाये नही है।
04. सोलानी नदी में वर्ष 1993, 1996,1999,2000,2008,2013 एवं 2021 मे बाढ आई है। सोलानी नदी में कृषि कार्य से बाढ की स्थिति उत्पन्न नही हुई है।

ऑख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।
(08 का)

UK Pcb/ROR
Diary No. 2816
File No.
Date 07/12/2022

05.12.22
अधिशासी अभियन्ता,
उत्तरी खण्ड गंगा नहर,
रूड़की
05.12.22

पत्रांक /उखगनरू/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट रूड़की को उनके सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में।
2. सहायक अभियन्ता–तृतीय एवं उपराजस्व अधिकारी उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूड़की को उनके द्वारा प्रेषित आख्या के सन्दर्भ में।

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तरी खण्ड गंगा नहर,
रूड़की

(08)

ग्राम – रामपुर

क्र० स०	नाम	पिता का नाम	ग्राम	खसरा नं०	रकबा हे० मे०
1.	श्री जाबिर पुत्र शरीफ	शरीफ	रामपुर	157	0.666
2.	" अशोक कुमार	सोमपाल	"	300, 313 मि०	0.410
3.	" सोमपाल	नत्थू	"	392	0.819
4.	" अतर सिंह	फूल सिंह	"	315	0.430
5.	" मनफूल	बुद्धू	"	315	0.430
6.	" सुरेशपाल	सुमेर चन्द	"	392	0.553
7.	" मो० हसन	सिराजुद्दीन	"	396	0.819
8.	" आलम	अकबर	"	395, 401, 419, 415 मि०	0.277
9.	" असलम	अकबर	"	397, 401, 409	0.236
10	" चिम्मन	जुम्मा	"	283, 291 मि०	0.492
11.	" मो० शमी	मो० यासीन	"	293, 295	0.768
12.	" मुस्तकीम	महबूब	"	157 158 मि०	0.819
13.	" रियासत	रहम इलाही	"	393, 394 मि०	0.318
14.	" इकबाल	अहसान	"	393, 394, 395 मि०	0.328
15.	" अशरफ	अल्ला मेहर	"	394, 395	0.256
16	" तालिब	अख्तर	"	393, 394 मि०	0.307
17	" मन्जूरा	हसमत	"	157	0.512
18.	श्रीमती कबूली	फूल सिंह	"	299, 300, 301 मि०	1.065
19.	श्री शमशुलक उर्फ बाबू खाँ	रसीद	"	157	0.819
20.	" ब्रजपाल	तुगल	"	157	0.656
21.	" महेन्द्र	मनफूल	"	157	0.420
22.	" दिलशाद अली	रसीद	"	157	0.615
23.	" कृष्णपाल	सुमेर चन्द	"	34	0.410
24.	" देशराज	लालू	"	396, 157	0.410
25.	" मानसिंह	मंगलू	"	157	0.410
26.	" भारत भूषण	सोमपाल	"	156	0.594
27.	" विक्रम	तुंगल	"	39, 40 मि०	0.410
28.	" प्रीतम	कालू	"	157	0.410
29.	" अजब सिंह	पाल्ला	"	37, 38 39 मि०	0.410
30	" जाकिर	शरीफ	"	157	0.359
31	" दिलशाद अली	शमशाद	"	157	0.594
32.	" मुख्तार अहमद	सलीम अहमद	"	157	0.410

जिलेदार आराजी प्राप्ति
उत्तरी खण्ड गंगा नहर

(07)

ग्राम- रामपुर

क्र० स०	नाम	पिता का नाम	ग्राम	खसरा नं०	रकबा (हे०मे)
33.	श्री सऊद	अशरफ	रामपुर	223	0·318
34.	" खालिद	इस्लाम	"	156,157, 415	0·410
35.	" मौ० इनाम	न्याजुदीन	रामपुर "	157	0·410
36.	" मौ० शमीम	फल्लू	"	157	0·410
37.	" ओमवीर	मुखराम	"	157	0·410
38.	" जमशेद	रहमइलाही	"	157	0·410
39.	" इरफान अली	घसीटा	"	157	0·410
40.	" अरशद	शमशाद	"	157	0·410
41.	" इन्द्र	लोना	"	124,157, मि०	0·410
42.	" रिफाकत	सईद अहमद	"	157	0·410

नोट :- कृषक पट्टेदारो द्वारा अपने कृषि पट्टे में गेहूं, गन्ना व मटर की फसल रखी है।

जिलेदार अभियंता प्रथम
उत्तरी खण्ड गंगा नहर [illegible]

767 ग्राम - रुड़की

	नाम	पिता का नाम	ग्राम	खसरा नं०	रकबा (हे०) में	
64.	परमानन्द	नानक चन्द	रुड़की	254	(.543)	
65.	चन्द्रपाल	राधेलाल	"	253	(.410)	
66.	शुगन/छज्जू/सत्यपाल	छज्जू	"	263	(.205)	
67.	श्रीमती पाल्ला देवी	महेन्द्र कुमार	"	263	(.205)	
68	भगवान दास	टेक चन्द	"	284	(.819)	
69.	शिवकुमार	जगदीश	"	272, 278	(1.280, .645)	
69/1	ओमी	जगदीश	"	272, 278	(.635)	
70.	पीयूष कुमार	भरत शर्मा	"	281	(.205)	
71.	गोविन्द	राजकुमार	"	711	(.410)	कब्जा नहीं है
72	अशोक कुमार	चन्द्रभान	"	711	(.410)	— do —
73.	तरुण कुमार	परमानन्द	"	711 सिंचित	(.410)	
74.	कुलदीप	परमानन्द	"	711	(.410)	
75	फिरोज खान		"	711	(.410)	कब्जा नहीं है
76.	इरफान	मीर हसन	"	711	(.410)	[illegible]
77.	शकील अहमद	सुल्तान अहमद	"	711	(.410)	[illegible]
				711	(.410)	

नोट :- कृषक पट्टेदारों द्वारा अपने कृषि पट्टे में गेहूँ, गन्ना व मटर की फसल बो रखी है।

जिलेदार ओ०पी०जी० प्रथम
उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की

जिलेदार ओ०पी०जी० प्रथम
उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की

(65)

ग्राम - रुड़की

सं०	नाम	पिता का नाम	ग्राम	खसरा नं०	रकबा (हे०) मे
32	सतबीर	राम सिंह	मेहवड़ कला	263, 264	(.697)
33	मंगेला	दुल्लू	रुड़की	284	(.410)
34	भारतमणि	अजब सिंह	"	284	(0.401)
35	अशोक कुमार	बीरबल सिंह	"	284	(.410)
36	इमरान	अं० गनी	"	284	(.666)
37	विकास	कलीराम	रुड़की	262, 263	(.481)
38	बिजेन्द्र	हरपाल	"	253	(.615)
39	सोरन सिंह	फूल सिंह	"	254	(.307)
40	ललित	बबूल सिंह	"	275, 277	(.502)
41	प्रवीण कुमार	रहतू लाल	"	263	(.533)
42	अरुण कुमार	राम चन्द्र	"	262, 263	(.359)
43	श्रीमति अल्लावन्दी पत्नी	पत्नी श्री मुनव्वर	"	415, 417, 419	(.594)
44	अंजू रानी	राम चन्द्र	"	262, 263	(.410)
45	विजय कुमार	जय प्रकाश	"	253	(.410)
46	श्रीमति कनिजा	पत्नी मंगता	"	262, 263	(.410)
47	पवन कुमार	घसीटा	"	262, 263	(0.440)
48	शाहिद	जकारिया	"	253	(.410)
49	जगराम	जी-सुख	"	284	(.410)
50	श्रीमति बोहती	मामराज	"	284	(.410)
51	राजदुलारी	खेमचन्द	"	284	(.410)
52	जितेन्द्र कुमार	जगराम	"	284	(.410)
53	नन्द किशोर	दुर्गा प्रसाद	"	284	(.410)
54	शराफत	अख्तर	"	254	(.410)
55	ताहिर	यासीन	"	254	(.410)
56	इसलाम	मासूम अली	"	254	(.410)
57	तिलोक चन्द	सूरजभान	"	262, 263	(.410)
58	राजकुमार	मूलचन्द	"	284	(.410)
59	राकेश कुमार	घसमू	"	262, 263	(.410)
60	लोकेश कुमार	जगराम	"	262, 263	(.410)
61	श्रीमति मिनाक्षी	अश्वनी कुमार	"	262, 263	(.410)
62	सईद अहमद	कासिम	"	253	(.410)
63	कय्यूम	कासिम	"	284, 297	(.410)

जिलेदार आ० जी प्रथम
उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की

जिलेदार आराजी नहर रुड़की
उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की

पत्रांक: श्रीमो दिनांक: 5/11/2020

सेवा मे

श्री मान प्रभारी निरीक्षक
कोतवाली सिविल लाईन
रुड़की (हरिद्वार)

विषय: कस्बा रुड़की के अन्तर्गत सोलानी नदी मे बिना विभागीय भूमि अनुमति के फसल बोने हेतु जुताई किये जाने के सम्बन्ध मे)

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे निवेदन है कि कस्बा रुड़की के अन्तर्गत सोलानी नदी मे बिना विभागीय अनुमति के फसल बोने हेतु जुताई कर ली है) इन सभी अवैध जुताई करने वाले काश्तकारो की सूची प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है) इस सभी लोगो को कई बार मौखिक रूप से मना भी किया गया, ये लोग मनमानी करते है एवं लडाई झगड़ा आदि करने पर उतारू होते है ये लोग स्थानीय होने का फायदा उठाते है ये लोग कहते है यहाँ हमारा पट्टा स्वीकृत है लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकृति पत्र नहीं दिखाया गया। अतः आपसे निवेदन है कि इन सभी अवैध रूप से विभागीय भूमि पर काश्त करने वाले लोगो के विरुद्ध F.I.R. दर्ज करने की कृपा करे।

कष्ट हेतु धन्यवाद)

अभियन्ता
जिलेदार सिंचाई प्रखण्ड
उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की

दिनेश कुमार
सींच पर्यवेक्षक

प्रतिलिपि: (1) श्री मान सहायक अभि० तृतीय उ०ख०गं०नहर रुड़की
(2) श्री मान उपराजस्व अधिकारी उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की
(3) श्री मान जिलेदार-प्रथम आराजी-प्रथम-रुड़की

दिनेश कुमार
सींच पर्यवेक्षक
रुड़की

(3)

पत्रांक: सीमी   दिनांक: 16/10/2020

विषय: कस्बा रुड़की के अन्तर्गत सोलानी नदी में बिना विभागीय अनुमति के फसल बोने हेतु जुताई किये जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमान जिलेदार आराजी प्रथम, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुड़की।

महोदय,
आपको उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि कस्बा रुड़की के अन्तर्गत सोलानी नदी में सूची में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के फसल बोने हेतु जुताई की गयी है जिन्हें मौके पर रोका गया है। परन्तु इनके द्वारा फसल बोने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी सूचना कोतवाली सिविल लाइन, रुड़की को भी दी जा रही है। अतः आप से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में आप भी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

क्र० सं०	नाम ग्राम	परगना/तहसील/जनपद	नाम अतिक्रमणकारी का नाम व पता (सर्वश्री)	खसरा नम्बर	रकबा (हे०में)	जिन्स	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रुड़की	रुड़की/रुड़की हरिद्वार	इमरान उर्फ गुड्डू पुत्र मीर हसन, निवासी मौ० माहीग्रान इमली रोड रुड़की जनपद-हरिद्वार	254	0.410	जुताई की गयी है।	खाली है प्रस्ताव विचाराधीन है
2.	—"—	—"—	फैजान S/o मीर हसन निवासी- उपरोक्तानुसार	254	0.410	—"—	अवैध
3.	—"—	—"—	इरफान S/o मीर हसन निवासी- उपरोक्तानुसार	254	0.240	—"—	"
4.	—"—	—"—	मेहरबान S/o मीर हसन निवासी- उपरोक्तानुसार	254, 284	0.410	—"—	"
5.	—"—	—"—	श्रीमती सरोज देवी W/o श्री करतार सिंह निवासी उपरोक्तानुसार	254, 284	0.410	—"—	प्रस्ताव विचाराधीन है
6.	—"—	—"—	मांगेराज S/o श्री धूमसिंह नि० म० [illegible] रुड़की	284	0.410	—"—	"
7.	—"—	—"—	रोहित कुमार S/o ललित कुमार नि०- उपरोक्तानुसार	284	0.510	—"—	अवैध
8	—"—	—"—	विरेन्द्र कुमार S/o करतार सिंह निवासी इमलीरोड रुड़की जनपद-हरिद्वार	284	0.810	—"—	प्रस्ताव विचाराधीन है
9.	—"—	—"—	कन्हैया S/o इन्द्रसिंह नि० [illegible] सोलानी रुड़की जनपद-हरिद्वार	284	0.350	—"—	अवैध
10.	—"—	—"—	गोविन्द S/o राजकुमार नि- म० नं० 163 [illegible] रुड़की जनपद हरिद्वार	711	0.410	पा-चस्पी कोठिर —"— अस्थाई [illegible] [illegible] आदि किये गये थे। [illegible] हटा दिये गये हैं।	
11.	—"—	—"—	अशोक कुमार S/o पन्नूलाल नि० म० नं० 120, [illegible] गली, [illegible] रुड़की जनपद हरिद्वार	711	0.410		

अतिक्रमण हटा दिया गया है

अतिक्रमण हटा दिया गया है।

क्रमशः —2 पर

(2)

1	2	3	4	5	6	7	8
	रुड़की	रुड़की/रुड़की हरिद्वार	अमनपुरी पु० हरचन्द पुरी नि० मकान 632 न्यू आदर्श नगर रुड़की जनपद-हरिद्वार।	711	0.100	जुर्माना लिया गयी है।	अवैध है।
13	—"—	—"—	अलिम पु० मूसा निवासी-रामपुर रुड़की जनपद-हरिद्वार	253	1.00		अवैध है/ न्यायालय में विचाराधीन है
14.	—"—	—"—	तरुण कुमार पु० परमानन्द निवासी मकान नं० 174 नेहरू नगर रुड़की जनपद-हरिद्वार	711	2.000	पाँच वर्षों के लिए अस्थाई तौर पर इनके नाम आवंटित किये गये थे एक फसली पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है।	
15	—"—	—"—	कुलदीप पु० परमानन्द निवासी-उपरोक्तानुसार।	711	2.000		
16	—"—	—"—	फिरोज खान नि० मो० सोत, रुड़की जनपद हरिद्वार।	711	2.000		अतिक्रमण हटा लिया गया है।
17	—"—	—"—	इरफान पु० मीर हसन निवासी माही ग्रान रुड़की जनपद-हरिद्वार	711	2.00		अतिक्रमण हटा लिया गया है।
18	—"—	—"—	सकील अहमद पु० स्व० सुल्तान अहमद निवासी भारत नगर कन्धारोड रुड़की जनपद-हरिद्वार	711	2.000		अतिक्रमण हटा लिया गया है।

(विनय कुमार)
सी० पर्यवेक्षक, रुड़की क्षेत्र

प्रतिलिपि:
(1) श्री मा० सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की
~~(2) श्री मा० उपराजस्व अधिकारी उत्तरी खण्ड गंग नहर रुड़की~~

दिनेश कुमार
(सी० पर्य० रुड़की)

जिलेदार आराजी पथक
उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की

नदी में अवैध काश्तकारों की सूची (क) दिनांक – ३०/११/२२

क्र०	नाम ग्राम	परगना/तहसील जनपद	अतिक्रमणकर्ता का नाम व पता (श्री)	खसरा नं०	रकबा (हे०)	किस्म	अन्य विवरण
1	रुड़की	रुड़की/हरिद्वार	इमरान गुड्डू / मीरहसन माही ग्राम, इमलीरोड	२८४	0.410	जुताई बुवाई	
२.	"	"	फैजान / मीरहसन निवासी – उपरोक्तानुसार	२८४	0.410	"	
३.	"	"	इरफान / मीरहसन निवासी – उपरोक्तानुसार	२८४	0.240	–"–	
४.	"	"	मेहरबान / मीरहसन निवासी – उपरोक्त	२८४/ २८४	0.410	–"–	
५.	"	"	श्री मति सरोज देवी w/o बलवीर सिंह – उपरोक्त	२८४ २८४	0.410	–"–	
6.	"	"	योगराज / धूमसिंह नि० प०अं०ला० – रुड़की	२८४	0.410	–"–	
7.	"	"	रोहित राणा / बालिक निवासी – धाधारोड़ – रुड़की	२८४	0.510	–"–	
8.	–"–	"	विरेन्द्र / करतार सिंह निवासी – इमली रोड़ रुड़की	२८४	0.810	–"–	
9.	–"–	"	कन्हैया / रुपचन्द निवासी – बन्दरवाला कालोनी – रुड़की	२८४	0.350	–"–	
10.	–"–	–"–	अमनपुरी / रतन पुरी निवासी आदर्शनगर रुड़की	711	0.100	–"–	
11.	–"–	–"–	आलिम / मुस्ता	२५३	0.810	ईख खड़ी	
13.	–"–	–"–	परमानन्द / नानकचन्द नि०-174 नेहरूनगर रुड़की	~~२८४~~/ 711	~~1.410~~ 1.410	"	

जिलेदार [signature] प्रथम
खतौली खण्ड गंगा नहर रुड़की

[signature] अ०भि० रुड़की
30/11/22

Annexure-4

।। कार्यालय नगर निगम, रूड़की जनपद–हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।।

पत्रांक :–221..../स्वा0अनु0/न0नि0रू0/2024–25 दिनांकः– 02/08/2024

सेवा में,

संयुक्त मजिस्ट्रेट
रूड़की, हरिद्वार।

विषयः– मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्रांतर्गत सोलानी नदी में गिर रहे समस्त नालों की सूचना विषयक्।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 12.06.2024 को आहूत बैठक में निर्देशों के क्रम में नगर निगम क्षेत्रांतर्गत समस्त वार्डो से सोलानी नदी में गिरने वाले नालों का सर्वेक्षण उपरान्त सूचना निम्नवत् है।

क्र0सं0	वार्ड संख्या	बड़ा नाला
01	02	आदर्श नगर
02	34	पुर्ण नाथ बाबा वाला, सिटी पब्लिक स्कूल वाला नाला
03	04	खंजरपुर नाला
04	36	सपना की पुलिया से सोलानी नदी की ओर जाने वाला नाला
05	36	बंधा रोड का नाला
06	35	इमली रोड का नाला
07	01	पठानपुरा का नाला

सूचना सेवा मे सादर प्रेषित।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
नगर आयुक्त
नगर निगम रूड़की।

प्रतिलिपिः–
1. जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त
नगर निगम रूड़की।

NNR 222

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
जगजीतपुर, पोस्ट–कनखल
हरिद्वार–249408

Office of Project Manager
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam,
Jagjeetpur, Post-Kankhal,
Haridwar-249408

Email:-pmcivilgangahrd@gmail.com

Letter No. 1646 / कार्य-25 / 18 date 4/6/2024 Through - Email/Post (Reg.)

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
हरिद्वार।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या 632/2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 170/एल०बी०ए०–2024 दिनांक 29.05.2024 के क्रम मे मा० एन०जी०टी० मे योजित मूल आवेदन संख्या 632/2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है :–

1. आई० एण्ड डी० रूड़की के अन्तर्गत 8 नाला टैपिंग के कार्य प्रस्तावित है। 5 नग नाले सोलानी नदी मे बने एक्वाडक्ट से अपस्ट्रीम मे स्थित है (इन नालों के ट्रीटमेंट हेतु महाप्रबन्धक (मु०), जल भवन, बी–ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के पत्रांक 240/अप्रै०/ उ०पे०नि०/ म०प्र०(मु०)/ उ०ज०स०/ 2024–25 दिनांक 14.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, सालियर रूड़की की वर्तमान मे अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग रूड़की शहर में स्थित सोलानी नदी मे गिरने वाले नालों के श्राव का शोधन करने हेतु अनुमति प्रदान की है), जिस हेतु 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सालियर तक पृथक राईजिंग मेन बिछाये जाने का अनुरोध किया गया है।
2. वर्तमान मे उपरोक्त 5 नालो को 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, सालियर रूड़की मे उपचारित करने हेतु एक सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण करने की आवश्यकता है, जिस हेतु एक्वाडक्ट से अपस्ट्रीम मे मच्छी मौहल्ला नाले के समीप लगभग 750 वर्गमीटर (25 Mtr X 30 Mtr) भूमि की आवश्यकता होगी।
3. सोनाली नदी पर बने एक्वाडक्ट से डाउनस्ट्रीम मे 3 नाले सोलानी नदी मे मिल रहे है। इन नालों को उपचारित करने के लिऐ सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु आदर्श नगर के समीप लगभग 2000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है।
4. इस इकाई के पत्रांक संख्या 1948 / कार्य–25 / 28 दिनांक 25.08.2023 द्वारा सोलानी नदी में मिलने वाले नालों के दूषित जल के उपचार हेतु एस०टी०पी० निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि को इस इकाई को हस्तान्तरित करने हेतु अनुरोध किया गया था, के प्रतिउत्तर में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंग नहर, रूड़की के पत्रांक 635 / उखगनरू/अनापत्ति दिनांक 12.03.2024 के द्वारा अवगत कराया गया था कि "एस0टी0पी0 हेतु प्रस्तावित सोलनी नदी पर **निर्मित एक्वाडक्ट से नदी के अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के समीप खसरा नम्बर–254 एवं एक्वाडक्ट के डाउन स्ट्रीम में** आदर्श नगर सोलानी नदी के समीप ग्राम मलकपुर लतीफपुर के खसरा नम्बर–34 की भूमि बहाव क्षेत्र में आती है। बाढ़काल में सोलानी नदी में आने वाले अत्यंधिक जल प्रवाह में जान–माल के नुकसान के साथ–साथ राजकीय सम्पत्ति की हानि होने की पूर्ण सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुऐ प्रस्तावित भूमि पर एस0टी0पी0 निर्माण किया जाना उचित नहीं होगा एवं यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त दोनों प्रस्तावित स्थलों पर एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अनापत्ति दिया जाना राजकीय एवं जनहित में उचित नहीं है।"
5. अतः वर्तमान में एक्वाडक्ट से अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ले के समीप लगभग 750 वर्गमीटर (25 Mtr X 30 Mtr) एवं एक्वाडक्ट से डाउनस्ट्रीम में आदर्श नगर के समीप लगभग 2000 वर्गमीटर (40 Mtr X 50 Mtr) भूमि की आवश्यकता होगी। नाला टैपिंग संरचना एवं सीवर लाईन बिछाने हेतु भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, रूड़की से अनापत्ति वांछनीय है।
6. अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर अपने स्तर से भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेगें।

भवदीया,
04/06/24
(मीनाक्षी मित्तल वशिष्ठ)
परियोजना प्रबन्धक

No. 1460/CPO
ADM/001 LBA/DLRC
DM(H)
4/6/2024
219/LBA
J.M.(R)
ADM(E)
05/06/24

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि

1. महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि रूड़की नगर के आई0 एण्ड डी0 कार्यों हेतु पूर्व में मच्छी मौहल्ला स्थित नालों के समीप एस0टी0पी0 का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। परन्तु वर्तमान में जल संस्थान द्वारा दिये गये एन0ओ0सी0 के क्रम में 33 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर पृथक राईजिंग मेन मच्छी मौहल्ला के नाले से सालियर एस0टी0पी0 तक का प्रस्ताव तैयार किया जाना है। जिस हेतु appropriate alignment निर्धारित करने हेतु Detail survey किये जाने की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि रूडकी आई0 एण्ड डी0 की डी0पी0आर0 समयान्तर्गत तैयार करने हेतु कन्सलटेन्ट के माध्यम से कराये जाने की अनुमति प्रदान करना चाहेगें।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
3. ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट, रुडकी।
4. इं0 आनन्द सिंह बिष्ट, परियोजना अभियन्ता/ इं0 प्रवेश कुमार, अपर परियोजना अभियन्ता (इकाई अन्तर्गत)।

04/06/24
परियोजना प्रबन्धक

"जल संचय–जीवन संचय" "कृपया जल स्त्रोतों को प्रदूषित होने से बचाईये।"
वैधानिक चेतावनी:– जल श्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।

775

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
जगजीतपुर, पोस्ट–कनखल
हरिद्वार–249408

Office of Project Manager
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam,
Jagjeetpur, Post-Kankhal,
Haridwar-249408

Email:-pmcivilgangahrd@gmail.com

Letter No. 1646 / का०25 / 18 date 4/6/2024 Through - Email/Post (Reg.)

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
हरिद्वार।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या 632/2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 170/एल०बी०ए०–2024 दिनांक 29.05.2024 के क्रम मे मा० एन०जी०टी० मे योजित मूल आवेदन संख्या 632/2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है :–

1. आई० एण्ड डी० रुड़की के अन्तर्गत 8 नाला टैपिंग के कार्य प्रस्तावित है। 5 नग नाले सोलानी नदी मे बने एक्वाडक्ट से अपस्ट्रीम मे स्थित है (इन नालों के ट्रीटमेंट हेतु महाप्रबन्धक (मु०), जल भवन, बी–ब्लॉक, नेहरु कॉलोनी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के पत्रांक 240/अप्रै०/ उ०पे०नि०/ म०प्र०(मु०)/ उ०ज०स०/ 2024–25 दिनांक 14.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, सालियर रुड़की की वर्तमान मे अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग रुड़की नगर में स्थित सोलानी नदी मे गिरने वाले नालों के श्राव का शोधन करने हेतु अनुमति प्रदान की है), जिस हेतु 33 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 सालियर तक पृथक राईजिंग मेन बिछाये जाने का अनुरोध किया गया है।
2. वर्तमान मे उपरोक्त 5 नालो को 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, सालियर रुड़की मे उपचारित करने हेतु एक सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण करने की आवश्यकता है, जिस हेतु एक्वाडक्ट से अपस्ट्रीम मे मच्छी मौहल्ला नाले के समीप लगभग 750 वर्गमीटर (25 Mtr X 30 Mtr) भूमि की आवश्यकता होगी।
3. सोनाली नदी पर बने एक्वाडक्ट से डाउनस्ट्रीम मे 3 नाले सोलानी नदी मे मिल रहे है। इन नालों को उपचारित करने के लिए सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु आदर्श नगर के समीप लगभग 2000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है।
4. इस इकाई के पत्रांक संख्या 1948 / कार्य–25 / 28 दिनांक 25.08.2023 द्वारा सोलानी नदी में मिलने वाले नालों के दूषित जल के उपचार हेतु एस0टी0पी0 निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि को इस इकाई को हस्तान्तारित करने हेतु अनुरोध किया गया था, के प्रतिउत्तर में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंग नहर, रुड़की के पत्रांक 635 / उखगनरु/अनापत्ति दिनांक 12.03.2024 के द्वारा अवगत कराया गया था कि "एस0टी0पी0 हेतु प्रस्तावित सोलनी नदी पर **निर्मित एक्वाडक्ट से नदी के अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के समीप खसरा नम्बर–254 एवं एक्वाडक्ट के डाउन स्ट्रीम में आदर्श नगर सोलानी नदी के समीप ग्राम मलकपुर लतीफपुर के खसरा नम्बर–34 की भूमि बहाव क्षेत्र में आती है। बाढ़काल में सोलानी नदी में आने वाले अत्यधिक जल प्रवाह में जान–माल के नुकसान के साथ–साथ राजकीय सम्पत्ति की हानि होने की पूर्ण सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुऐ प्रस्तावित भूमि पर एस0टी0पी0 निर्माण किया जाना उचित नहीं होगा एवं यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त दोनों प्रस्तावित स्थलों पर एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अनापत्ति दिया जाना राजकीय एवं जनहित में उचित नहीं है।"**
5. अतः वर्तमान में एक्वाडक्ट से अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ले के समीप लगभग 750 वर्गमीटर (25 Mtr X 30 Mtr) एवं एक्वाडक्ट से डाउनस्ट्रीम में आदर्श नगर के समीप लगभग 2000 वर्गमीटर (40 Mtr X 50 Mtr) भूमि की आवश्यकता होगी। नाला टैपिंग संरचना एवं सीवर लाईन बिछाने हेतु भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, रुड़की से अनापत्ति वांछनीय है।
6. अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर अपने स्तर से भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेगे।

220/LBA
1. J.M. (R)
2. MNA(R)
3. अधि० अभि० सिंचाई खण्ड (उत्तर प्रदेश) सिंचाई (R)
कृ० आ० कार्य० करने का कष्ट करें।
ADM(E)
05/06/24

भवदीया,
04/06/24
(मीनाक्षी मित्तल वशिष्ठ)
परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि

1. महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि रुड़की नगर के आई0 एण्ड डी0 कार्यों हेतु पूर्व में मच्छी मौहल्ला स्थित नालों के समीप एस0टी0पी0 का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। परन्तु वर्तमान में जल संस्थान द्वारा दिये गये एन0ओ0सी0 के क्रम में 33 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर पृथक राईजिंग मेन मच्छी मौहल्ला के नाले से सालियर एस0टी0पी0 तक का प्रस्ताव तैयार किया जाना है। जिस हेतु appropriate alignment निर्धारित करने हेतु Detail survey किये जाने की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि रुड़की आई0 एण्ड डी0 की डी0पी0आर0 समयान्तर्गत तैयार करने हेतु कन्सलटेन्ट के माध्यम से कराये जाने की अनुमति प्रदान करना चाहेगें।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
3. ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट, रुड़की।
4. इं० आनन्द सिंह बिष्ट, परियोजना अभियन्ता/इं० प्रवेश कुमार, अपर परियोजना अभियन्ता (इकाई अन्तर्गत)।

04/06/24
परियोजना प्रबन्धक

776

उत्तर प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of The Executive Engineer
उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी
Northern Division Ganga Canal, Roorkee

गंगोत्री भवन कैम्पस, मलकपुर चुँगी, रूडकी
Gangotri Bhavan Campus, Malakpur
Chungi, Roorkee-247667
E.mail:- eendgcrke@gmail.com

पत्रांक 1859 /उखगनरू/अनापत्ति, दिनांक 27/07/ 2024

विषयः– **माननीय राष्ट्रीय हरित प्रधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक 1759/कार्य–25/21, दिनांक 15.06.2024**

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर, पोस्ट–कनखल, हरिद्वार–249408

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के अनुपालन एवं ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट महोदय, हरिद्वार के पत्रांक 328/पी0ए0, दिनांक 13.06.2024 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 04 के अनुपालन में नगर निगम, रूडकी, सिंचाई खण्ड रूडकी (उत्तराखण्ड), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, राजस्व विभाग, रूडकी एवं इस खण्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रूडकी स्थित सोलानी नदी में गिरने वाले नालों के टैपिंग, एस0पी0एस0, सीवर लाईन एवं राईजिंग मेन बिछाने हेतु संयुक्त निरीक्षण उपरान्त चिन्हित की गई भूमि का विवरण उपलब्ध कराते हुये विषयगत कार्यो हेतु भूमि को निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एन0जी0टी0 के मूल आवेदन संख्या–632/2022 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड द्वारा सोलानी नदी के फलड प्लेन जोन का निर्धारण उपरान्त निर्देशित मानकों के आलोक में विषयगत भूमि पर अनापत्ति/अनुमति सम्बन्धित कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की

पत्रांक /उखगनरू/तदिनांक 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार।
2. ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट महोदय, रूडकी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल, रूडकी।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड़ गंगा नहर
रूड़की

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण
इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार
पत्रांक 2210 /का/14-25/29 दिनांक 2/8/24
प्रतिलिपि: 1 Er. A.S. Bisht PE [illegible]

Annexure-6

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Irrigation Design Building Campus, Roorkee-247667
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूडकी–247667
Regional Laboratory Roorkee

UKPCB

Analysis Report of Sewage Treatment Plants (STP,s) For the Month of May-2024

S. No.	Name of Sewage Treatment Plant (STP) (With Capacity)	Date of Sampling	Sampling Point							
			Inlet of STP			Outlet of STP				
			pH	BOD	TSS	pH	BOD	TSS	COD	Fecal Coliform
1	18 MLD (STP), Jagjeetpur, Haridwar	15.05.2024	7.06	180	120	7.20	9.2	8	40	130
2	27 MLD (STP), Jagjeetpur, Haridwar		7.14	220	260	7.44	9.6	10	40	110
3	68 MLD (STP), Jagjeetpur, Haridwar		7.09	150	220	7.16	8.4	9	30	140
4	14 MLD (STP), Sarai, Haridwar		7.23	200	170	7.31	10	16	50	140
5	18 MLD (STP), Sarai, Haridwar		7.22	170	160	7.42	9.2	10	50	110
6	7 MLD (STP), BHEL, Haridwar		7.40	180	240	7.68	9.6	10	40	94
7	33 MLD (STP), Saliyar, Roorkee		7.27	170	160	7.40	10	9	50	350
Sewage Treatment final effluent standard (as Notified by MoEF&CC)						**6.5-9.0**	<30	<100		<1000

All values are in mg/L except pH and Fecal Coliform (MPN/100ml)

(Aayushi Gusain)
Junior Lab Assistant

(Swati Kalra)
Junior Research Fellow

(Dr. Ajeet Singh)
Assistant Scientific Officer

(S. P. Singh)
Regional Officer

Annexure-7

33MLD SEWAGE TREATMENT PLANT SALIYAR ROORKEE INLETE OUTLET DATA OF MAY-2024					
SR NO.	DATE	INFLOW (IN MLD)	OUTFLOW (IN MLD)	DAILY DIFFERENCE (IN MLD)	REMARKS
1	01-05-2024	5.18	5.14	0.04	
2	02-05-2024	4.45	4.38	0.07	
3	03-05-2024	5.00	4.95	0.05	
4	04-05-2024	4.66	4.60	0.06	
5	05-05-2024	5.19	5.11	0.08	
6	06-05-2024	4.67	4.63	0.04	
7	07-05-2024	4.50	4.46	0.04	
8	08-05-2024	4.78	4.72	0.06	
9	09-05-2024	4.67	4.63	0.04	
10	10-05-2024	4.70	4.67	0.03	
11	11-05-2024	4.61	4.59	0.02	
12	12-05-2024	5.00	4.99	0.01	
13	13-05-2024	4.78	4.72	0.06	
14	14-05-2024	4.73	4.72	0.01	
15	15-05-2024	4.66	4.63	0.03	
16	16-05-2024	4.85	4.81	0.04	
17	17-05-2024	4.61	4.57	0.04	
18	18-05-2024	4.77	4.73	0.04	
19	19-05-2024	4.78	4.73	0.05	
20	20-05-2024	4.81	4.75	0.06	
21	21-05-2024	4.46	4.38	0.08	
22	22-05-2024	4.20	4.14	0.06	
23	23-05-2024	5.25	5.20	0.05	
24	24-05-2024	5.15	5.11	0.04	
25	25-05-2024	5.25	5.20	0.05	
26	26-05-2024	5.12	5.06	0.06	
27	27-05-2024	5.78	5.77	0.01	
28	28-05-2024	5.13	5.11	0.02	
29	29-05-2024	4.85	4.83	0.02	
30	30-05-2024	4.44	4.38	0.06	
31	31-05-2024	4.55	4.53	0.02	
TOTAL MLD		**149.58**	**148.24**	**1.26**	

Authorized Signature

KEC-WATERLEAU-(JV)